प्रेषक

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा मे,

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, बदायूं/ फतेहपुर/ बहराइच/ सिद्वार्थनगर/चन्दौली/बलरामपुर/ श्रावस्ती/चित्रकूट।

संख्याः **789** /बजट/29(5)/30/13/2018—19 दिनॉकः **15.10.2018**

विषयः **वित्तीय वर्ष 2018—19 के लिये अनुदान सं0—15 के अधीन लेखाशीर्षक—2403—पशुपालन—001—निदेशन तथा प्रशासन—03—निदेशालय योजनान्तर्गत विभिन्न मानक मदों में धनराशि का आवंटन।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक भारत सरकार की नीति आयोग द्वारा केन्द्रीय योजनाओं के निरीक्षण कार्यक्रम के दृष्टिगत आपको वित्तीय वर्ष 2018—19 के अन्तर्गत अनुदान संख्या—15 के अधीन लेखाशीर्षक 2403—पशुपालन—001—निदेशन तथा प्रशासन—03—निदेशालय योजनान्तर्गत विभिन्न मानक मदों में संलग्न **एलाटमेन्ट ग्रिड रिपोर्ट** के अनुसार कुल धनराशि रू0 640.000 हजार (रुपये छः लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि इस निर्देश के साथ आवंटित की जाती है कि ऑवटित धनराशि का व्यय निम्नलिखित शर्तो के अधीन व्यय किया जाय :—

1. आवंटित धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त(आय—व्ययक)अनुभाग—1 के कार्यालय ज्ञाप सं0—1/2018/बी—1—375/दस—2018—231/2018, दिनांक 30.3.2018 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0—बी—1—1195/ दस—16/94, दिनांक 06—06—1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
2. आवंटित धनराशि का मुश्त आहरण न किया जा। किसी भी दशा में आवंटित धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा उससे व्यय नई मदों में न किया जाय। जहां तक सम्भव हो व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रति माह समान रूप से की जाय तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।
3. मानक मद 04 एवं 15 में आवंटित धनराशि का विनियमन इस प्रकार किया जाय जिससे पेट्रोल/यात्रा भत्ता बीजकों का नियमित रूप से भुगतान सुनिश्चित हो सके।
4. वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में समय—समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुडस) 2016 एवं शासन द्वारा निर्धारित विभागीय क्रय नीति का पूर्ण पालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
5. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अस्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो उन मामलों में व्यय करने से पूर्व शासन को पूर्ण औचित्य सहित प्रस्ताव भेजकर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।
6. वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का विशेष रुप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ—साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर—12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
7. आवंटित धनराशि का नकद/चेक/बैंक डाफ्ट के माध्यम से नहीं किया जाय प्रत्येक भुगतान लाभार्थी के खाते में RTGS/NEFT (आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0) के माध्यम से ही किया जाय।

8. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान सं0–15 के अधीन लेखाशीर्षक 2403–पशुपालन–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–निदेशालय के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाई के नामे डाला जायेगा।
9. आवंटित की जा रही धनराशि की प्रविष्टि आवंटन पंजिका के कम सं0–2 के पृष्ठ संख्या 10 से 193 तक अंकित कर ली गयी है।

<u>संलग्नक–उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय,

(नरेन्द्र प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक।

संख्याः **789** /बजट/29(5)/30/13/2018–19, तद्‌दिनॉक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. विशेष सचिव,पशुधन अनुभाग–2,उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय–लखनऊ।
2. प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)–प्रथम,उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।
3. महालेखाकार(सी0पी0सी0)–3,उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।
4. वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, बदायूं/ फतेहपुर/ बहराइच/ सिद्वार्थनगर/ चन्दौली/ बलरामपुर/ श्रावस्ती/ चित्रकूट।
5. कम्पयूटर सुपरवाईजर,मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन को विभागीय बैवसाइड पर फीड करने का कष्ट करें।

(नरेन्द्र प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक।

Print Report

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2018-2019
आवंटन दिनांक-15/10/2018

प्रेषण संख्या:- 789
आवंटन आदेश संख्या:- 017-29-5-30-13-2018-19
अनुदान संख्या:- 15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग ((पशुधन)(वित्तीय वर्ष 2018-2019 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2403 - पशु पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

001 - निदेशन तथा प्रशासन
03 - निदेशालय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		04-यात्रा व्यय	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	42-अन्य व्यय	योग
1	बदायूं-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	25000 65000	50000 75000	20000 30000	95000 170000
2	फतेहपुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	20000 60000	40000 65000	20000 30000	80000 155000
3	बहराइच-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	25000 65000	50000 75000	20000 30000	95000 170000
4	सिद्धार्थनगर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	20000 55000	40000 60000	20000 30000	80000 145000
5	चन्दौली-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	20000 60000	40000 65000	20000 30000	80000 155000
6	बलरामपुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	15000 50000	35000 55000	20000 30000	70000 135000
7	श्रावस्ती-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	15000 45000	35000 55000	20000 30000	70000 130000
8	चित्रकूट-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	15000 45000	35000 60000	20000 30000	70000 135000
	योग	वर्तमान प्रगामी	155000 445000	325000 510000	160000 240000	640000 1195000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया छ: लाख चालीस हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया ग्यारह लाख पंचानवे हजार

(नरेन्द्र प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक

15-10-2018, (